न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–156/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00107)

1. बुद्धराम पुत्र श्री प्रभाती लाल,
2. ताराचन्द पुत्र प्रभाती लाल,
3. लोकचन्द पुत्र प्रभात लाल, समस्त जाति अहीर, निवासीगण बड़बर, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती रिसाल देवी पत्नी श्री महेन्द्रसिंह,
2. श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद,
3. राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र श्री भगवानाराम,
4. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवानाराम,
5. किरान्ता पुत्री श्री भगवानाराम,
6. विमला पुत्री श्री भगवानाराम,
7. सुरेश पुत्री श्री भगवानाराम, समस्त जाति अहीर, निवासीगण, बड़बर, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

8. तहसीलदार तहसील बुहना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 30.12.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 03.07.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि खसरा नम्बर 633 व 684 वाके मौज बड़बर से सम्बन्धित तथाकथित वसीयत दिनांक 21.04.2016 को निरस्त करवाने बबत दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बुहाना में उनवनी ताराचन्द बनाम मुन्नीदेवी मुकदमा नम्बर 43/16 में न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2017 को रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया है जिसके मुकदमा नम्बर 61/16 है, जो उनवानी बुद्धराम बनाम मुन्नीदेवी के नाम से है, उक्त तथ्यों पर भी अदालत मातहत ने गौर न करके यथास्थिति बनाये रखने के आदेश होने के बावजूद भी उक्त अपीलाधीन आदेश विरूद्ध कानून व विरूद्ध तथ्यों के पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2019 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तथाकथित वसीयत दिनांक 21.04.2016 के सम्बन्ध में दिनांक 10.05.2019 को पटवारी हल्का बड़बर द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

पारित होने का उल्लेख है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर करके ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी विधिक एवं कानूनी भूल कारित की है, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2019 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2019 द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 683 व 684 बाबत प्रकरण संख्या 61/16 उनवान बुद्धराम बनाम मुन्नी देवी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष विचाराधीन रहा है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.16 द्वारा स्थगन जारी किया गया है एवं आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा उक्त स्थगन आदेश को ताफैसला वाद पुष्टि (कनफर्म) किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त अपीलाधीन आदेश जारी करने के दौरान स्थगन आदेश प्रभावी नही होना साबित होता हो जिससे जाहिर हो जाता है कि उक्त अपीलाधीन आदेश दौराने स्थगन जारी किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।